फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 17/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/121)
श्री उदयसिंह देवड़ा व अन्य बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>12.09.2024</td><td>
उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री सत्यप्रकाश व्यास - वकील अपीलार्थी
2. श्री तुलसीराम डांगी - वकील प्रत्यर्थी-1
3. श्री सुरेशपुरी गोस्वामी - वकील प्रत्यर्थी-2
4. श्री दिलीप कुमार सुथार - वकील प्रत्यर्थी-4
अनवान
1. श्री उदयसिंह पिता स्वर्गीय श्री भवानीसिंह देवड़ा, निवासी 14 बी, पाठों की मगरी, उदयपुर।
2. श्रीमती लालीकुंवर पत्नि श्री सोहनसिंह डूलावत, निवासी खेतपाल का गुडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
अपीलार्थी
बनाम
1. श्री भंवरलाल पिता श्री फतहलाल डांगी, निवासी मयूर कॉम्प्लेक्स, हिरण मगरी, सेक्टर नम्बर 4, उदयपुर।
2. श्री सिद्धार्थ अग्रवाल पिता श्री अशोक अग्रवाल, निवासी 28, पोलोग्राउण्ड, उदयपुर।
3. सरपंच, ग्राम पंचायत डाकन कोटडा, पंचायत समिति गिर्वा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर।
4. सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या 04/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2017, बउनवानी श्री उदयसिंह व अन्य बनाम श्री भंवरलाल व अन्य

<u>निर्णय</u>

दिनांक 12.09.2024

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा प्रकरण संख्या 04/2017 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2017, बउनवानी श्री उदयसिंह व अन्य बनाम श्री भंवरलाल व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

• वर्तमान अपील की अपीलार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत डाकनकोटडा, पंचायत समिति गिर्वा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-4001 दिनांक 20.01.2017 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और निवेदन किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-1 के पूर्वहिताधिकारी ग्राम पंचायत डाकनकोटडा तहसील गिर्वा स्थित आराजी नम्बर 2737 से 2745, 2761 व 2762, कुल किता 11 कुल रकबा 4.9800 हैक्टेयर के अभिलिखित खातेदार होकर उनका इस भूमि में संयुक्त स्वामित्व एवं संयुक्त आधिपत्य है। यह भूमि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-1 की आवंटितशुदा सम्पत्ति है, जिसमें वह 57 वर्षो से अपने हिस्से पर कोट बनाकर कृषि कर रहे है। अपीलार्थीगण ने उपखण्ड
</td><td></td></tr>
</table>

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 17/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/121) **श्री उदयसिंह देवड़ा व अन्य बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी, गिर्वा के समक्ष घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेद्याज्ञा का एक वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 314/2001 होकर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा यह वाद दिनांक 08.07.2010 को फैसल फरमाया गया। उक्त वाद अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णित फरमाया गया इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपीलार्थीगण ने दिनांक 02.08.2010 को अपील प्रस्तुत की, उक्त अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन का निस्तारण करते हुए दिनांक 02.08.2010 को स्थगन आदेश जारी किया। उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायत डाकनकोटडा द्वारा दिनांक 20.01.2017 को नामान्तरकरण संख्या 4003 प्रत्यर्थी-2 के पक्ष में निर्णित कर दिया जो निरस्तनीय है।

- अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा को राजस्व लोक अदालत अभियान, 2017 कैंप कोट सवीना में रख कर निर्णय दिनांक 06.07.2017 पारित किया कि ''**अपीलान्ट ने पत्रावली में स्टे के बाबत कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है। अपीलान्ट को स्टे की प्रति उपलब्ध कराने हेतु कहा गया। अपीलान्ट द्वारा स्टे की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। अपीलान्ट द्वारा स्टे की प्रति उपलब्ध नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील साबित नहीं होने से खारिज की जाती है।''**

उक्त निर्णय दिनांक 06.07.2017 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्दर मयाद पेश की। अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 95 दिनांक 05.01.2024 के क्रम में हस्तगत प्रकरण न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 10.01.2024 को दर्ज रजिस्टर किया गया। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 29.08.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 4 उपस्थित। अन्य पक्षकारान बावजुद सूचना अनुपस्थित। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा लिखित बहस पेश। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा निर्णय से पूर्व अपना पक्ष रखने का अवसर चाहा गया था, जिस पर अधिवक्ता प्रत्यर्थी-2 का अवसर दिया गया था, दिनांक 30.08.2024 को पुर्वान्ह उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-1 के पूर्वहिताधिकारी ग्राम पंचायत डाकनकोटडा तहसील गिर्वा स्थित आराजी नम्बर 2737 से 2745, 2761 व 2762, कुल किता 11 कुल रकबा 4.9800 हैक्टेयर के अभिलिखित खातेदार होकर उनका इस भूमि में संयुक्त स्वामित्व एवं संयुक्त आधिपत्य है। यह भूमि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी-1 की आवंटितशुदा सम्पत्ति है, जिसमें वह 57 वर्षों से अपने हिस्से पर कोट बनाकर कृषि कर रहे है। अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के समक्ष घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेद्याज्ञा का एक वाद प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 314/2001 होकर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा यह वाद दिनांक 08.07.2010 को फैसल फरमाया गया। उक्त वाद अपीलार्थीगण के विरूद्ध निर्णित फरमाया गया इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 17/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/121) **श्री उदयसिंह देवड़ा व अन्य बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्राधिकारी के समक्ष अपीलार्थीगण ने दिनांक 02.08.2010 को अपील प्रस्तुत की, उक्त अपील में राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन का निस्तारण करते हुए दिनांक 02.08.2010 को स्थगन आदेश जारी किया। उक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायत डाकनकोटडा द्वारा दिनांक 20.01.2017 को नामान्तरकरण संख्या 4001 प्रत्यर्थी-2 के पक्ष में निर्णित कर दिया जो निरस्तनीय होने से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे विधि विरूद्ध तरीके से निरस्त कर दिया। अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय और ग्राम पंचायत द्वारा सुनवाई का अवसर दिये बगैर निर्णय पारित किया गया। प्रकरण कैंप कोर्ट में रखे जाने पूर्व अपीलार्थीगण को सूचित नहीं किया गया, न सुना गया। अपीलार्थीगण को स्टे की प्रति उपलब्ध कराने बाबत कोई अवसर नहीं दिया गया। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक सक्षिप्त कार्यवाही है, जिसमें घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद/अपील विचाराधीन रहते हुए कोई कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं था। प्रत्यर्थी-1 व 2 को पूरी तरह स्थगन की जानकारी होते हुए एक नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित किया और प्रत्यर्थी-1 ने प्रत्यर्थी-2 को यह विवादित आराजीयात विक्रय की तथा स्थगन नामान्तरकरण खुलवाया जो विधि विरूद्ध होने उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय एवं ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य निर्णय पारित कर दिये। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.07.2017 को अपास्त किया जावें एवं साथ ही नामान्तरकरण संख्या 4001 दिनांक 20.01.2017 निरस्त फरमाया जायें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024(1) पेज 225, आरआरटी 2022(2) पेज 1310, आरआरटी 2023(1) पेज 247, आरआरटी 2006(2) पेज 823, आरआरटी 2024(1) पेज 409, आरआरटी 2024(1) पेज 329 पेश किये। **प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** अपीलाधीन आराजी की भूमि प्रत्यर्थी-1 के खातेदारी आधिपत्य की है जो उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख से क्रय की है। अपीलाधीन सम्पूर्ण आराजी की भूमि में अपीलार्थी का 1/5वां हक हिस्से से अधिक भूमि बाबत अपीलार्थी को यह अपील लाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि कथित नामान्तरकरण से अपीलार्थी का किसी तरह का हिस्सा प्रभावित नहीं होता है चूंकि अपीलार्थी के कथनानुसार ही आराजी बाबत नियमित वाद विचाराधीन है तो पक्षकारान के विधिक अधिकार नियमित वाद के द्वारा ही निर्धारित होगें। कथित अपील संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसके तहत अपीलार्थी के किसी तरह के हक अधिकार निर्धारित नहीं हो सकते है तथा अपीलार्थी कथित नामान्तरकरण से पीड़ित पक्षकार नहीं है, न ही उसे यह अपील लाने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसके किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **प्रत्यर्थी-2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि** अपीलाधीन आराजी की भूमि प्रत्यर्थी-2 द्वारा क्रय की गई, जिसके उपरान्त किसी अन्य का इस भूमि को हक व अधिकार शेष नहीं रहता है। कथित नामान्तरकरण से अपीलार्थी का किसी तरह का हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है, हक व अधिकार नियमित वाद में ही निर्धारित किये जा सकते है। अपीलार्थी कथित नामान्तरकरण से पीड़ित पक्षकार नहीं है, न ही उसे यह अपील लाने का अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसके किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 17/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/121) **श्री उदयसिंह देवड़ा व अन्य बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें। **नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता एवं साक्ष्यों के आधार पर निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया है।** **हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण लिखित एवं मौखिक बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।** दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किया। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है व प्रस्तुत दस्तावेज हस्तगत प्रकरण से पुरी तरह सम्बन्धित है, जिससे यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 (ख) के परिपेक्ष्य में रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश धारा-41 नियम 27 स्वीकार किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रकट होता है कि उपरोक्त वर्णित आराजीयात के संबंध में पारित नामान्तरकरण के संबंध में कुल 7 अपील इस न्यायालय में पेश की गई। उक्त नामान्तरकरण में से 5 नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा एवं 2 नामान्तरकरण तहसीलदार, गिर्वा द्वारा पारित किये गये। जिनकी अपील इस न्यायालय में पेश हुई। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पारित दोनों नामान्तरकरण की प्रथम अपील जिला कलक्टर, उदयपुर समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके नम्बर 06/2017 एवं 07/2017 होकर उसके निर्णय दिनांक 03.02.2020 पारित किये गये। ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरणों के विरूद्ध इस न्यायालय में 5 अपील पेश की गई, जिसमें से एक हस्तगत अपील है। यहा जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.02.2020 में किये गये विनिश्चय का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर द्वारा अपने निर्णय में अंकन किया कि ''**अपीलीय नामान्तरकरण न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.08.2010 के विचाराधीन रहते हुए एवं अपील के विचाराधीन रहते हुए पारित किया गया है। अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.08.2010 से प्रकरण में दिनांक 13.09.2010 तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। अपीलीय न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 17.01.11 में स्थगन दिनांक 21.02.11 तक बढ़ाया गया। परन्तु आगे की आदेशिका में जो निरन्तर रूप से 23.01.17 तक में दिये गये स्थगन आदेश को अपास्त नहीं किया गया है। यानि की दिया गया स्थगन आदेश स्वतः दिनांक 23.01.17 तक प्रभावी था एवं अपीलीय नामान्तकरण फैसल दिनांक को अपील भी विचाराधीन थी व स्थगन भी प्रभावी था। पक्षकारान के मध्य अपीलीय न्यायालय में वाद विचाराधीन था। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण पाते है।**'' यह समान स्थिति यह न्यायालय हस्तगत प्रकरण में भी पाते है। यहा उल्लेख किया जाना उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण को निरस्त कराने बाबत अपील प्रस्तुत की गई, जिसे लोक अदालत में रखा जाकर मात्र स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश पूर्ण रूप से लोक अदालत की	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 17/2024 राजस्व (जीसीएमएस/2024/121) **श्री उदयसिंह देवड़ा व अन्य बनाम श्री भंवरलाल डांगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भावना के विपरित पारित किया गया है। प्रावधित है कि लोक अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है यदि पक्षकारों के बीच राजीनामा या समझौता नहीं हुआ हो। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने विहित प्रक्रिया का पालन किये बिना और पक्षकारों की सहमति के बिना आदेश पारित किया है। यह मान भी लिया जावें कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष स्थगन आदेश की प्रति पेश नहीं की गई तो भी अपीलार्थी को स्थगन आदेश की प्रति उपलब्ध कराने बाबत समुचित अवसर प्रदान किया जाना था जो नहीं किया गया, जिसका परिणामा वाद बाहुल्यता हुई और हस्तगत प्रकरण उसमें से एक है। प्रस्तुत दस्तावेजात, जिला कलक्टर द्वारा समान प्रकृति एवं समान आराजीयात व पक्षकारान के संबंध में पारित निर्णय एवं राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किये जाने समय राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 02.08.2010 प्रभाव में था और अपील भी विचाराधीन थी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित आराजीयात के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद भी लम्बित होने के कथन प्रस्तुत किये है। स्थगन आदेश के प्रभाव में होते हुए और अपील/वाद लम्बित होते हुए ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण की कार्यवाही किया जाना पूर्णतया विधि विरूद्ध है और ऐसे नामान्तरकरण का समर्थन किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय भी समर्थन योग्य नहीं होकर निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लोक अदालत एवं स्थगन से संबंधित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों से सुसंगत होकर इस प्रकरण में लागु होते है। परिणामतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2017 एवं ग्राम पंचायत डाकनकोटड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 4001 दिनांक 20.01.2017 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर यह निर्देशित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए विभिन्न न्यायालयों में लम्बित अपील/वाद के निर्णय के अनुसार नये सिरे से नामान्तरकरण दर्ज करें। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	